Dy 396/29/12/20
Compu

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ,
सामान्य वर्ग

पत्रांक 15285 एम0टी0/सामान्य वर्ग/54एम–72/2014 **दिनांक– 24/12.2020**

कार्यालय–ज्ञाप

श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री विजेन्द्र, निवासी–खिजरपुर, पोस्ट–बढ़ौन, अलीगढ़ का लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में मार्ग कार्य करने हेतु श्रेणी 'ए' की ठेकेदारी में पंजीकरण इस कार्यालय के पत्र संख्या–6096 एम0टी0/सामान्य वर्ग/54एम–72/2014 दिनाँक–15.07.2014 एवं अन्तिम नवीनीकरण पत्र संख्या–5179 एम0टी0/सामान्य वर्ग/54एम–72/2014 दिनाँक–17.07.2017 द्वारा दिनाँक–30.06.2020 तक के लिये किया गया।

अधीक्षण अभियन्ता, अलीगढ़ वृत्त, लो0नि0वि0, अलीगढ़ के पत्रांक–955/कैशियर(नि0ख0–1 अ0)–अ0वृ0/2019–20 दिनाँक–15.02.2019 के द्वारा आमंत्रित ई–निविदा के अन्तर्गत "मुरसान–इगलास मार्ग के कि0मी0 5 से रायतपुर से कारस तक मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य" हेतु फर्म/ठेकेदार श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री विजेन्द्र, निवासी–खिजरपुर, पोस्ट–बढ़ौन, अलीगढ़ के द्वारा ई–निविदा अपलोड की गयी थी, जो दिनाँक–06.05.2019 को खोली गयी। जिसमें फर्म/ठेकेदार श्री प्रदीप कुमार प्रथम न्यूनतम निविदादाता होने के कारण आपकी निविदा को स्वीकृत करने के लिए मूल एफ0डी0आर0 रू0 5,60,000.00 को खण्डीय कार्यालय में जमा करने हेतु कहा गया, जिसे जमा करने में आनाकानी (टालमटोल) करते रहे। शंका होने पर विभाग द्वारा दिनाँक–08.05.2019 को निविदा में संलग्न एफ0डी0आर0 की छायाप्रति को बैंक में सत्यापन हेतु भेजा गया, तो शाखा प्रबन्धक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, जी0टी0 रोड, अलीगढ़ ने अपने पत्रांक–303/3718 दिनाँक–10.05.2019 द्वारा अवगत कराया गया कि श्री प्रदीप कुमार, ठेकेदार द्वारा एफ0डी0आर0 का खाता दिनाँक–29.03.2019 को बन्द कर दिया गया है और शाखा प्रबन्धक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा अवगत कराया कि एफ0डी0आर0 दिनाँक–03.05.2019 को त्रुटिपूर्ण सत्यापित हो गयी थी। बैंक से सूचना मिलने पर फर्म/ठेकेदार को अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु कहा गया था, लेकिन अनुबन्ध गठित कराने की कार्यवाही नहीं की गयी। फर्म/ठेकेदार श्री प्रदीप कुमार द्वारा बिना विभाग को सूचित किये व बिना बन्धक मुक्त कराये मूल एफ0डी0आर0 को कैश करा भुगतान प्राप्त कर लिया गया था। फर्म/ठेकेदार श्री प्रदीप कुमार का उक्त कृत्य निविदा प्रकिया के विरूद्ध था।

उक्त प्रकरण में मुख्य अभियन्ता, अलीगढ़ क्षेत्र, लो0नि0वि0, अलीगढ़ के पत्रांक–3130/सा0पंजी0–अ0क्षे0/2020 दिनाँक–04.08.2020 के सन्दर्भ में श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री विजेन्द्र, निवासी–खिजरपुर, पोस्ट–बढ़ौन, अलीगढ़ को इस कार्यालय के पत्रांक–11058एम0टी0/सामान्य वर्ग/54एम–72/2014 दिनाँक–02.09.2020 द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस, फर्म/ठेकेदार का प्रतिउत्तर दिनाँक–18.09.2020 तथा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0, अलीगढ़ के पत्रांक–4187/11एम0जी0 दिनाँक–12.11.2020 के आलोक में परीक्षण किया गया तो स्पष्ट हुआ कि फर्म/ठेकेदार श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री विजेन्द्र, निवासी–खिजरपुर, पोस्ट–बढ़ौन, अलीगढ़ के विरूद्ध निविदा प्रक्रिया के उल्लंघन किये जाने का आरोप सही पाया गया है, जिसके लिए फर्म/ठेकेदार पूर्णतयः दोषी है।

अतः शासनादेश संख्या–2365 एम0एस0/23–पी0डब्लू0–41 एम0एस0/1954, दिनाँक–24.08.1982 एवं प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र संख्या–362 एम0टी0जी0/70एफ0–68 दिनाँक–08.10.1982 द्वारा ठेकेदारों के लिए वर्गीकरण एवं पंजीकरण नियमावली के नियम–15(1) के अन्तर्गत उपयुक्त पंजीकरण संबंधी सुसंगत शासनादेशों एवं शासनादेश संख्या–4127 एम0एस0/23 सा0नि0अनु0(7) दिनाँक–02.12.1974 के अन्तर्गत अनुबन्ध की शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने के कारण श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री विजेन्द्र, निवासी–खिजरपुर, पोस्ट–बढ़ौन, अलीगढ़ को लोक निर्माण विभाग के सभी कार्यों से **03 माह** के लिए **डिबार(Debar)** किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

उक्त आदेश प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0), लो0नि0वि0, उ0प्र0 के अनुमोदन से निर्गत किये जा रहे हैं। उक्त आदेश को काली सूची/डिबार के ठेकेदारों के रजिस्टर के कमांक–30 पर अंकित किया गया।

ह0/–
(आर0सी0 शुक्ला)
मुख्य अभियन्ता (मु0–2),
लो0नि0वि0, लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– विशेष सचिव, लो0नि0अनु0–7, उ0प्र0 शासन।

2– समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश एवं मुख्य अभियन्ता, विश्व बैंक, राष्ट्रीय मार्ग, पी0एम0जी0एस0वाई0, सेतु/वाह्य सहायतित, इण्डो नेपाल बार्डर, लो0नि0वि0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इस आदेश की प्रति अपने स्तर से अपने अधीनस्थ समस्त अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ताओं एवं कार्य अधीक्षकों को उपलब्ध करा दें।

3– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, लखनऊ।

4– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लिमिटेड, लखनऊ।

5– निदेशक/मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद, गोमतीनगर, लखनऊ।

6– प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

7– मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभिन्त्रण सेवा विभा, जवाहर भवन, लखनऊ।

8– अधीक्षण अभियन्ता, अलीगढ़ वृत्त, लो0नि0वि0, अलीगढ़।

9– अधिशासी अभियन्ता, कम्प्यूटर सेल, लो0नि0वि0, लखनऊ को उक्त आदेश विभागीय वेब साइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

10– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0, अलीगढ़।

पंजीकृत–11– श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री विजेन्द्र, निवासी–खिजरपुर, पोस्ट–बढ़ौन, अलीगढ़।

(एम0एम0 निसार)
वरिष्ठ स्टाफ आफीसर(सा0)
लो0नि0वि0, लखनऊ